International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

Issue: 1 | Vol.: 9 | Jan.-Feb. Mar.-2022 | Pages: 66–70 | RRSSH | ISSN: 2348 – 3318 |

विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में गॉधी दर्शन की वर्तमान में प्रासंगिकता

कमल कान्त जोशी
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
काशीपुर, उत्तराखण्ड

Received : 08/02/2022 ***1st BPR*** : 16/02/2022 ***2nd BPR*** : 27/02/2022 ***Accepted*** : 10/03/2022

Abstract

आज के इस भौतिकवादी युग में संसार के लगभग सभी प्रगतिशील तथा विकसित देशों मे अपराधी व्यवहार के अंतर्गत विधि विरूद्ध बालकों (बाल अपराधी बच्चे) की समस्या सर्वाधिक जटिल होती जा रही है। कोई भी बच्चा जन्मजात अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियॉ व सामाजिक परिवेश उसे अपराधी बनाते हैं। ऐसे में आज के इस **आधुनिक युग में बाल अपराध नियंत्रण व उनके मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु**, हर किसी को गॉधी, गॉधीवाद और गॉधी के सिद्धान्तों व उसके दर्शन का स्मरण हो रहा है। **वर्तमान में** किशोर न्याय अधिनियम 2015, राष्ट्रीय बाल नीति 1974/2013, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा 1959, संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम 1985, बाल अधिकार प्रसंविदा 1989, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 24, 39(ड•) 39(च), 47 तथा 51(क) ऐसे प्रपत्र हैं, जिनमें **विधि विरूद्ध बालकों**/बच्चों के अधिकारों का वर्णन किया गया हैं जो उनके सुखमय जीवन जीने हेतु आवश्यक है। **गॉधी जी का दर्शन** भारतीय संस्कृति व धर्मग्रंथों जैसे – महाभारत, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबल तथा मुख्य रूप से गीता के उपदेशों से प्रभावित व प्रेरित है तथा ये सब ही मानवाधिकारों की मान्यता के स्रोत माने जाते हैं। **गॉधी–दर्शन के प्रमुख आधारभूत सिद्धान्त** जो वर्तमान में भी विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रासंगिक बने हुए हैं, वह इस प्रकार है – सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव, अस्तेय, अपरिग्रह व ट्रस्टीशिप आदि।

***Key words*:** मानवाधिकार, अस्तेय, विधि विरूद्ध बालक, अहिंसा, गॉधी जी।

प्रस्तावना

किशोर न्याय मानवाधिकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इस बात से हम सभी परिचित है कि बच्चों की स्थिति अन्य सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। बच्चों द्वारा किए गए अपराध उतने गम्भीर नहीं होते जितना कि वयस्क व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध होते हैं। यही कारण है कि उनके लिए विशेष न्याय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 82 व 83 इसके ज्वलंत उदाहरण हैं–**

- **धारा 82** में सात वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्यो को अपराध नहीं माना गया है।
- **धारा 83** में सात वर्ष से ग्यारह वर्ष के बीच की आयु के शिशुओं के कृत्यों को तभी अपराध माना गया है, जब ऐसे व्यक्तियों की समझ परिपक्व हो।

''**कृष्ण भगवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार''** के मामले में *पटना उच्च न्यायालय ने इन दोनों व्यवस्थाओं को सुधारात्मक प्रकृति का मानते हुए कहा है कि इनका मुख्य ध्येय शिशुओं व बच्चों को सुधरने का अवसर प्रदान करना है।*

मानवाधिकारों की संकल्पना बिना गॉधी जी के दर्शन की अधूरी है, क्योंकि *मानवाधिकारों की सांस्कृतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि गॉधी जी की दृष्टि और उनके दर्शन पर ही आधारित है।* अहिंसा के पुजारी गॉधी जी ने सभी विचारों के बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित किया जहॉ से विश्व को व्यक्ति के मानवाधिकारों के लिए एक दिशा मिली।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वागिण विकास और देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सदैव से प्रयास किए जाते रहे हैं। इस सबंधं में हमारे देश में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विशेष प्रयास प्रारम्भ किए गए। आजादी से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में सुधार विद्यालय अधिनियम, **1876** इस दिशा में पहला ठोस प्रयास था। इसे बाद में सन **1897** में संशोधित किया गया था। आज के दौर में बच्चों के अधिकार संरक्षण हेतु किशोर न्याय अधिनियम, **2015** स्थापित है।

गॉधी जी ने अहिंसा के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसकी कसौटी विश्व के सभी धर्मग्रन्थों का मूल थी। इस संदर्भ में बात को और अधिक प्रमाणित करने के लिए गॉधी जी ने **''अहिंसा परमो धर्मः''** का संदेश दिया। यह दर्शन गॉधी जी के शांति, बंधुत्व, सहिष्णुता, विकास और एकता जैसे विचारों से प्रेरित था।

उद्देश्य : प्रस्तुत शोध पत्र का मूल ध्येय आम जनमानस को यह बोध कराना है कि किस प्रकार से गांधी दर्शन के मूल तत्व वर्तमान में विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण का आधार तत्व हैं।

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

Issue: 1 | Vol.: 9 | Jan.-Feb. Mar.-2022 | Pages: 66–70 | RRSSH | ISSN: 2348 – 3318 |

विधिः प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से जानकारियों का संकलन कर उसका वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया है।

परिकल्पनाः गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का आधार माना था। गॉधी जी के दर्शन के बिना मानवाधिकार की संकल्पना अधूरी रह जाती है। मानवाधिकार की पृष्ठभूमि उनके दर्शन का परिणाम है।

प्रस्तुत शोध पत्र **'विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में गॉधी दर्शन की वर्तमान में प्रासंगिकता'** को **3** भागों में रेखांकित किया गया है –

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
2. विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकार तत्व।
3. विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में गॉधी दर्शन।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

आजादी के बाद देश में विधि विरूद्ध बालकों/बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण व सर्वप्रथम प्रयास **शीला बर्से** ने किया उन्होंने देखा कि **बाल अधिनियम 1960** के प्रभावशाली होने के बाद भी असंख्य बच्चे देश के कारागृहों में कैद थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए **शीला बर्से** ने उच्चतम न्यायालय में 1986 में जनहित याचिका दायर की, उसमें कहा गया कि देश के सभी कारागृहों का निरीक्षण कराया जाय व पता लगाया जाय कि उसमें **सोलह वर्ष** से कम आयु के कितने किशोर बन्द है, उन्हें तत्काल कारागृहों से मुक्त कराया जाय तथा याचिकाकर्ता को देश के कारागृहों, बालगृहों, रिमाण्ड गृहों तथा सम्प्रेक्षण गृहों से सूचनायें प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान की जायें।

उच्चतम न्यायालय ने इस जनहित याचिका को गम्भीरता से लिया व 13 अगस्त 1986 को अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिये जो विधि विरूद्ध बच्चों के मानवाधिकारों के लिये मील के पत्थर बने। यही से भारत में उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु ध्यान दिया जाने लगा।

न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्णय विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का पहला चरण था, तब से भारत में विधि विरूद्ध बच्चों के अधिकारों व मानवाधिकारों के संरक्षण की प्रणाली प्रारम्भ हुई।

बच्चे अपराध के मार्ग में कदम नहीं रखे तथा उनके मानवाधिकारों का हनन् न हो इसके लिए आवश्यक है– *बाल सलाहकार केन्द्र गठित किये जायें तथा सम्बन्धित कार्मिको को उचित प्रशिक्षण दिया जाये*। विधि विरूद्ध बच्चों के मानवाधिकारों का हनन् न हो इस हेतु सरकारी एजेन्सियों, शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, सुधार गृह के कर्मियो तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

2. विधि विरूद्ध बालकों/बच्चों के मानवाधिकार तत्व :

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार 'विधि विरूद्ध बालकों/बच्चों की संज्ञा उन्हें दी गयी है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या अपराध करने का आरोप उन पर लगा है।

बच्चों के मानवाधिकारों में रूकावट बनने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्या विधि विरूद्ध अवस्था अर्थात बाल अपराध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के लिए अलग से अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है, जैसे – किशोर न्याय अधिनियम 2015, राष्ट्रीय बाल नीति 1974/2013, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा 1959, संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम 1985, बाल अधिकार प्रसंविदा 1989, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 ऐसे प्रपत्र हैं जिनमें बच्चों के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 24, 39(ड), 39(च), 47 तथा 51(क) में बच्चों के अधिकारों के संबंध में प्रावधान किए गए है जो सुखमय जीवन जीने हेतु आवश्यक है। **विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु** किशोर न्याय अधिनियम 2015 की **धारा 3** में निम्न प्रावधान किए गए हैं –

- **निर्दोषिता की अवधारण का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत 18 साल के व्यक्ति, जिसे यह कानून बच्चा मानता है को आपराधिक आशय का दोषी नहीं माना जाएगा।
- **गरिमा व योग्यता का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी मनुष्यों के साथ गरिमापूर्ण व अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में समान बर्ताव किया जाना चाहिए।
- **भाग लेने (सहभागिता)का सिद्धान्त** यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने व उसके सुने जाने का व उसके हितों को प्रभावित करने वाली हर प्रक्रिया व निर्णयो में सहभागी होने का अधिकार प्राप्त है।
- **कौटुम्बिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत बच्चे की देखरेख, उसके पोषण व उसकी सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके परिजन–परिवार की है।
- **सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त** यानी बच्चों से सम्बंधित हर प्रक्रिया **जीवन तथा स्वास्थ्य का अधिकार**, इस सिद्धान्त पर आधारित होने चाहिए। यह प्रक्रिया बच्चों के सबसे ज्यादा हित में है व बेहतरी के लिए है।

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

Issue: 1 | Vol.: 9 | Jan.-Feb. Mar.-2022 | Pages: 66–70 | RRSSH | ISSN: 2348 – 3318 |

- **गैर– कलंकीय शब्दार्थो का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत बच्चों के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो उन्हें अभियोगी बताते हो या उनके प्रतिकूल हो।
- **सुरक्षा का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा सुरक्षित रहें तथा देखरेख व संरक्षण की प्रक्रिया में रहते हुए व उसके बाद भी उसे हानि न पहुंचे, उसके साथ र्दुव्यवहार न हो व बुरा बर्ताव न किया जाए। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जाएँ।
- **अधिकारों का त्याग न किये जाने का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत बच्चों के किन्ही भी अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जाएगा इसका प्रावधान है।
- **एकान्त व गोपनीयता का अधिकार सिद्धान्त** इसके अंतर्गत हर बच्चे को सभी तरीकों से पूरी न्यायिक प्रक्रिया में निजता व गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- **नये सिरे से शुरूआत करने का सिद्धान्त** यानी कानून के तहत कुछ परिस्थितियों को छोड़ कर, बच्चे के प्रकरण से सम्बन्धित पिछले सभी कागज, अभिलेख नष्ट कर दिए जाने का अधिकार प्राप्त है।
- **सकारात्मक उपाय का सिद्धान्त** इसके अंतर्गत बच्चों के कल्याण को प्रोन्नति, पहचान के विकास और की असुरक्षा कम करने के लिए समावेशित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए परिवार और समुदाय को गतिमान किया जाना चाहिए।
- **अपयोजन का अधिकार** यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से सम्बन्धित कार्यवाहियों को अविलम्ब निपटाया जाना चाहिए।
- **नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त** यानी सभी व्यक्तियों के लिए न्यायोजित व निष्पक्ष प्रक्रिया के मानकों का (जैसे उचित सुनवाई, निष्पक्षता, समीक्षा आदि) पालन हो।
- **समानता व विभेद नहीं किये जाने का सिद्धान्त** यानी किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा व **हर बच्चे को पहुँच, अवसर व बर्ताव में समानता का हक प्राप्त हो।**
- **परिवार, कुटुम्ब, समुदाय में फिर से मिलने–बसने का अधिकार** यानी किशोर न्यायिक प्रक्रिया में हर बच्चे को जल्दी से जल्दी अपने परिवार कुटुम्ब में फिर से मिलने व उसी सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था में फिर से जाने, पुनः बसने का अधिकार प्राप्त है।

3. विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में गॉधी दर्शन :

गॉधी जी ने अपने दर्शन में **सत्य** की आराधना को भक्ति माना और अपनी आत्मकथा का नाम 'सत्य के प्रयोग' रखा। 'मुडकोपनिषद' से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य **सत्यमेव जयते** के प्रेरणा श्रोत बापू है। **अहिंसा** का अर्थ उन्होंने यह माना की **मन, वाणी अथवा कर्म से किसी को आहत नहीं करना है।** गॉधी जी के अनुसार सच्चा प्रेम निःस्वार्थ एवं एकरस होता है उसमें अपने सुख की कामना नहीं होती। 'काका कालेलकर' की दृष्टि में बापू **सर्वधर्म समभाव** के प्रणेता थे। वसुधैव कुटुंबकम् का उदात्ता सिद्धांत और 'वेदोक्त सर्व खल्विदं ब्रह्म' उनके जीवन का मूलमंत्र था। उनकी प्रार्थना सभाओं में गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयां, विनय–पत्रिका के पद के साथ ही नरसी मेहता व रवीन्द्र नाथ टैगोर के भजन आदि के प्रमुख अंशो का पाठ होता था।

✍ **अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार** ''आने वाली पीढियां संभव है कि शायद ही यह विश्वास करें कि महात्मा गांधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी हुआ था।''

वे **सकारात्मक** तथा **रचनात्मक कार्यो** के द्वारा देश के लोगों को **अधिकार** व कर्तव्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की धुरी मानते थे। वे हिंसापूर्ण समाज में अहिंसा को सर्वोच्च मानवीय मूल्य के तौर पर स्वीकार करने की हिम्मत रखते थे। वे अहिंसा को जीवन का बुनियादी मूल्य मानते थे।

गॉधी जी की **आंतरिक साधना व दिनचर्या** में मानवाधिकारों की साफ झलक दिखाई पड़ती है। उनकी **दैनिक दिनचर्या** में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि **दूसरों के अधिकारों का हनन् नहीं हो**। वे कर्म पर आधारित विश्व की संरचना को देखना चाहते थे। वे विश्व के सभी धर्म ग्रन्थों में मानवीय संवेदना, मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा के सूत्र को खोजते रहते थे।

गॉधी दर्शन की मूल संकल्पना में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा व उनके सम्मान की बातें कूट–कूट कर भरी थी। **अहिंसा** की अवधारणा उनके **मानवाधिकारों की आधारशिला** थी।

✍ विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में गॉधी दर्शन के प्रासंगिक तत्व–

- ✓ **अहिंसा–** गॉधी जी के दर्शन का यह आधार तत्व है। विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ***यह तत्व बोध कराता*** हैं कि बच्चों के मानवाधिकार संरक्षण हेतु किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट प्रदान नहीं किया जाए।
- ☞ **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा,** अनुच्छेद 5 बच्चों को अमानुषिक दण्ड नहीं दिया जायेगा इस बात का उल्लेख किया गया है।
- ✍ पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती व न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के अनुसार ''बच्चे यदि राष्ट्र का धरोहर है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उनका शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास कर उनके सर्वागीण विकास को सुनिश्चित

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

Issue: 1 | Vol.: 9 | Jan.-Feb. Mar.-2022 | Pages: 66–70 | RRSSH | ISSN: 2348 – 3318 |

करने का प्रभावी कदम उठायें ताकि बच्चे शारीरिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट, मानसिक दृष्टि से जागरूक व बौद्धिक दृष्टि से स्वस्थ रहें।"

- ✓ **अस्पृश्यता निवारण–** गॉधी जी के दर्शन का यह भी आधार तत्व है। समाज में व्याप्त छुआछूत के वह विरोधी थे, उन्होंने आजीवन अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि **यह तत्व** भेदभाव रहित जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है।
- ☞ **आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966,** अनुच्छेद 10(3) बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा व सहायता प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- ✍ पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन.भगवती व आर.एन.पाठक के अनुसार " आज के बालक कल के नागरिक है। आने वाले कल के भारत का भार उन्हीं के कन्धों पर विद्यमान है। वे ही आने वाले समय के नेता है, उन्हीं पर राष्ट्र का गौरव व गरिमा निर्भर है।"
- ✓ **स्वतंत्रता –** गॉधी जी के दर्शन का यह भी आधार तत्व है। जीवन जीने की उपलब्धता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक तत्व है। वे स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति व शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे। विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में **विचार अभिव्यक्ति व शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता** बोध कराती है कि व्यक्तित्व विकास हेतु यह महत्वपूर्ण तत्व है
 - ☞ **बाल अधिकार प्रसंविदा 1989,** अनुच्छेद 13(1) बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
 - ☞ **बाल अधिकार घोषणा पत्र 1959** के अनुसार बच्चों को सुरक्षा व राहत सभी स्थितियों में सबसे पहले प्राप्त होगी।
- ✓ **सर्वोदय –** गॉधी जी के दर्शन का प्रमुख आधार तत्व है। जो **शोषणविहीन समाज की कल्पना** करता है। जो नागरिक उत्थान पर बल देता है। विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य के **यह तत्व बोध कराता** हैं कि शोषणविहीन समाज की अवधारणा के अंतर्गत **किशोर न्याय अधिनियम 2015** की धारा **10** के अनुसार बच्चों द्वारा समाज विरोधी कृत्य करने के बाद पुलिस द्वारा उसे 24 घण्टे के भीतर किशोर न्यायालय में पेश करने का प्रावधान है। जहॉ वह अपना पक्ष रख सकें।

आदि गॉधी दर्शन तत्वों के माध्यम से विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के तत्वों का बोध प्राप्त होता है। जिससे गॉधी दर्शन को बच्चों के मानवाधिकारों के करीब पाया जा सकता है।

सुझाव :

किसी भी समाज व देश के भविष्य का निर्धारण उस देश के बच्चों के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके बचपन को सुरक्षित करना समाज का प्रथम दायित्व बन जाता है। समाज का मूल ध्येय हमेशा बच्चों को सुधरने का अवसर उपलब्ध कराना रहा है। यदि वर्तमान में अपराधिक कृत्यों में लिप्त बच्चों को सुधरने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो सम्भव है कि वह भविष्य में सही मार्गदर्शन के अभाव में अपराध जगत में प्रवेश करेंगे। **बच्चों के समाज विरोधी कार्यो पर नियंत्रण तथा मानवाधिकार सम्बंधित स्थितियों में सुधार हेतु उपरोक्त सुझाव की आवश्कयता महसूस होती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है –**

- ✦ आज के इस बदलते परिवेश में बच्चों की भावनाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस होती है। बच्चों की मानसिकता को समझने को लिए अभिभावकों को, उनके आचार–विचार, रहन–सहन, को करीब से देखने व समझने की जरूरत है तथा **गॉधी दर्शन के मूल तत्व** अस्तेय व अपरिग्रह का बोध यदि उन्हें बचपन से कराया जाय तो भटकाव संबंधित स्थितियों से अपने आप को दूर रख पायेंगे। जिससे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बचपन जीवन चक्र से गायब होने से बच पायेगा।
- ✦ बाल अपराध के **कारण तत्व** में सबसे महत्वपूर्ण तत्व **असमानता** है अर्थात समाज में धन संबंधी वितरण में असमानता के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है व धनवान का जीवन स्तर में लगातार सुधार होते जा रहा है। जिस कारण गरीब जीवन स्तर के नागरिकों के बच्चे आवश्यकता पूर्ति के कारण छोटे– मोटे अपराध करते है। जिसके अंतर्गत चोरी या चैन खीचना या जेब काटना आदि घटनाओं को करते है। इस हेतु यदि समाज में **गॉधी दर्शन के मूल तत्व** न्यायसिता का सिद्धान्त पूर्णतः स्थापित कर दिया जाय तो **असमानता संबंधी स्थितियों में बदलाव आयेगा और बच्चों के अपराध स्तर में भी कमी आयेगी।**
- ✦ बच्चों के मानवाधिकार संरक्षण हेतु उन कर्मियों को नियुक्त किया जाए जो मनोविज्ञान के ज्ञाता हो **अहिंसा परमो धर्मः** को मानते हो जिससे **शांति व बंधुत्व** का भाव स्थापित हो पायेगा।

आदि गॉधी दर्शन के मूल तत्वों के माध्यम से आज के इस आधुनिक युग में विधि विरूद्ध बालकों अर्थात बाल अपराधियों द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी कार्यो से समाज को मुक्त रखा जा सकता है। इस समस्या के समाधान हेतु **बच्चों के**

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

Issue: 1 | Vol.: 9 | Jan.-Feb. Mar.-2022 | Pages: 66–70 | RRSSH | ISSN: 2348 – 3318 |

जीवन–स्तर तथा सामाजिक ढॉचे में बदलाव आवश्यक हो जाता है क्योंकि अपराध के कारण अबोध बच्चों को तिरस्कार का सामना करना पड़ता है साथ ही बच्चों को प्राप्त मानवाधिकार के साथ भी न्याय नहीं हो पाता है।

निष्कर्ष

सामाजिक आंदोलन और भारतीय समाज को एक साथ जोड़ने की चेष्टा गॉधी दर्शन की धुरी है। अहिंसा व सत्याग्रह उनकी नैतिकता की अवधारणा के मुख्य तत्व थे। उनका सम्पूर्ण जीवन मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु बीता। मानवाधिकारों के संवर्धन हेतु उनका प्रयास दक्षिण अफ्रीका प्रवास से प्रारम्भ हो गया था। जो बाद में चंपारण सत्याग्रह 1917, बारदोली सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उनकी मानवाधिकारो के संरक्षण हेतु किए गए संघर्ष यात्रा का एक स्वरूप है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनके सिद्धान्तों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिये प्रेरित किया तथा गॉधी जी ने देश में कई आंदोलन छेड़े जिनका व्यापक प्रभाव देश के स्वतंत्रता आंदोलन तथा आम जनमानस पर पड़ा। उनके जीवन दर्शन का आधार तत्व मानवाधिकार था, उनका सम्पूर्ण जीवन मानवाधिकार को समर्पित था एवं अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मानवाधिकार की रक्षार्थ वह खड़े रहे तथा उनके दर्शन के **सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव, अस्तेय, अपरिग्रह व ट्रस्टीशिप आदि मूल तत्व वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।**

संदर्भ ग्रन्थ

1- मिश्रा. डॉ महेन्द्र कुमार (2008) भारत में मानवाधिकार, आत्म राम एण्ड सन्स, जयपुर ।
2- सिंह, डॉ संजय (2010) मानवाधिकार और दलित, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।
3- भसीन अनीश (2011) जानिए मानव अधिकारों को, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4- दुबे, अखिलेश्वर प्रसाद, गॉधी दर्शन की रूपरेखा, Northern Book Center, 2003, ISBN–8172111436, 9788172111434
5- शुक्ला पुनीता, गॉधी विचार आज भी प्रासंगिक, आलेख 2 अक्टूबर 2008 (https:// www.news18.com)
6- https:// www.mea.gov.in
7- दुनिया को दिशा दे रहा 'गॉधी दर्शन' आलेख (https:// www.udaysarvodaya.com)
8- JT1986 136, 1986 SCALE (2) 230